विज्ञापन संख्या 01/2013 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी की चयन बोर्ड द्वारा चयनित सूची दिनांक 18.05.2017 को इस आधार पर जारी की गई थी कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो चयन बोर्ड को लिखित साक्ष्य सहित सूचित करें। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आपत्ति एवं निस्तारण इस प्रकार है:–

1. श्री राहुल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद अनुक्रमांक 020109235 द्वारा ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.05.2017 एवं 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें चयनित सूची में अनर्ह दिखाया गया है। साक्षात्कार के समय एकल विषय संस्कृत में सम्पूर्ण अंको का योग नही अंकित था। उक्त अंको को संशोधित कर 30.12.2016 को संलग्न कर दिया था।

   उपरोक्त प्रत्यावेदन के कम में पुनः परीक्षण के उपरान्त तथ्य प्रकाश मे आया कि श्री राहुल ने आवेदन पत्र में कहीं भी एकल विषय संस्कृत का उल्लेख नहीं किया है। चयन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.05.2017 में निर्णय लिया गया था कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ न दिया जाय। अतः आवेदन पत्र में बी0ए0 एकल विषय संस्कृत का उल्लेख न किये जाने के कारण बी0ए0 संस्कृत को अमान्य करते हुए अनर्ह किया गया है।
2. श्रीमती पूनम यादव पुत्री श्री सिया राम यादव अनुक्रमांक 050101301 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्होंने बालक वर्ग में आवेदन किया था और उनकी अन्तिम मेरिट 435.081 है। अतः इनका बालक वर्ग से परिवर्तित कर बालिका वर्ग में किया जाय।

   श्रीमती पूनम यादव ने बालक वर्ग 01 में आवेदन किया है। अतः बालक वर्ग 01 ही मान्य किया जायेगा।
3. श्री राज कुमार अनुक्रमांक 020110586 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 22.05.2017 एवं 23.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें अन्तिम परिणाम में अनर्ह दिखाया गया है। जब कि प्रार्थी सभी न्यूनतम अर्हता पूर्ण करता है।

   उक्त प्रत्यावेदन के कम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि एकल विषय संस्कृत का उल्लेख आवेदन पत्र मे नही है। चयन बोर्ड की बैठक दिनांक 03.05.2017 में निर्णय किया गया था अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ न दिया जाय। आवेदन पत्र में बी0ए0 एकल विषय का उल्लेख न किये जाने के कारण बी0ए0 संस्कृत को अमान्य करते हुए अनर्ह किया गया है।

4. सरिता देवी पुत्री श्री राम यश सिंह अनुक्रमांक 020111818 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्होंने बालिका वर्ग 02 के लिए साक्षात्कार किया था। अतः बालिका वर्ग 02 में मेरे अभ्यर्थन पर विचार किया जाय।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थिनी ने आवेदन पत्र में बालक वर्ग तथा बालिका वर्ग दोनों के कालम में (√) सही का निशान लगया है। बालक/बालिका दोनो के कालम में (√) सही का निशान लगने तथा लिखित परीक्षा मे वर्ग 01 होने के कारण बालक वर्ग मान्य किया गया।

5. प्रज्ञा मिश्रा पुत्री श्री राकेश कुमार मिश्र अनुक्रमांक 030102196 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 31.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें अन्तिम परिणाम में औपबन्धिक दिखाया गया है। प्रत्यावेदन के साथ उन्होंने छत्रपति साहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा जारी बी0ए0 तृतीय वर्ष एकल विषय संस्कृत के परीक्षा परिणाम की प्रति तथा परीक्षा नियत्रंक का पत्र दिनांक 26.05.2017 संलग्न किया है। दोनों मे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि 07.08.2013 अंकित है।

छत्रपति साहूजी महराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से निर्गत परीक्षा नियंत्रक का मूल पत्र जिसमें अभ्यर्थिनी के बी0ए0 के एकल विषय संस्कृत का परीक्षा फल घोषित किये जाने का उल्लेख हो, काउन्सिलिंग के समय वांछित है।

6. श्री पप्पू यादव पुत्र श्री राम बहाल यादव अनुक्रमांक 020109969 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि एकल विषय संस्कृत (यू जी एस एस) के अंक पत्र मे त्रुटि होने के कारण रिजल्ट औपबन्धिक हो गया।

उपरोक्त प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2012 में एकल विषय संस्कृत का अंक पत्र, आवेदन पत्र व सत्यापन के समय (सत्यापन दिनांक 03.02.2017) में प्रस्तुत किया गया। जो त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है, परन्तु प्रत्यावेदन के साथ संलग्न अंक पत्र जो दिनांक 26.05.2017 को निर्गत किया गया। उसमें परीक्षा फल उत्तीर्ण अंकित है। वर्ष 2012 के 05 वर्ष पश्चात् 26.05.2017 को अंक पत्र किस आधार पर पूर्ण कर दिया गया है स्पष्ट नही है।

अतः स्पष्ट हो जाने तक चयन औपबन्धिक ही रहेगा।

7. श्री सत्य नारायण पुत्र श्री प्रभाकर पाण्डेय अनुक्रमांक 020108262 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 23.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें खेल का लाभ नही दिया गया है जब कि प्रवक्ता के साक्षात्कार के बाद अन्तिम परिणाम में उन्हें खेल का लाभ दिया गया हैं।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी ने रस्सा–कसी (टग ऑफ वार) के खेल का प्रमाण संलग्न किया है। चयन बोर्ड के निर्णय दिनांक 02.07.2017 के अनुसार "रस्सा–कसी उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त खेल की सूची में नही है। अतः ऐसी स्थिति में रस्सा–कसी खेल के अंक का अधिभार न दिया जाय।" उक्त के आधार पर रस्सा–कसी का अधिभार नहीं दिया गया है।

8. श्री त्रिभुवन गिरि पुत्र श्री अरूण कुमार गिरि अनुक्रमांक 020100679 में अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.05.2017 द्वारा अवगत कराया कि उन्हें खेल का अधिभार नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी ने रस्सा–कसी (टग ऑफ वार) के खेल का प्रमाण संलग्न किया है। चयन बोर्ड के निर्णय दिनांक 02.07.2017 के अनुसार "रस्सा–कसी उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त खेल की सूची में नही है। अतः ऐसी स्थिति में रस्सा–कसी खेल के अधिभार न दिया जाय।" उक्त के आधार पर रस्सा–कसी का अधिभार नहीं दिया गया है।

9. श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री बब्बन सिंह अनुक्रमांक 020101076 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 2905.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि प्रार्थी को क्रिकेट (टेनिस बाल) का राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के बावजूद उसका अधिभार नही दिया गया।

उक्त प्रत्यावेदन क्रम में पुनः परीक्षण किया गया। श्री सुभाष सिंह द्वारा संलग्न टेनिस बाल, क्रिकेट चैम्पियनशिप 2011 का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। यह किस संस्था/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है, स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट न होने के कारण खेल का अधिभार नहीं दिया गया है।

10. श्री विजय सिंह यादव पुत्र श्री गुभ्भन सिंह यादव अनुक्रमांक 020103863 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उनका खेल का अधिभार नही दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन क्रम में पुनः परीक्षण किया गया। अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में राज्यस्तरीय बाली बाल खेल का उल्लेख किया है। राज्यस्तरीय खेल का लाभ देय नहीं है।

11. श्री राजेश कुमार यादव अनुक्रमांक 100109032 ने अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें खेल का अधिभार नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि तेनजिंग नोर्गे एडवन्चर कैम्प (नेहरू युवा केन्द्र संस्थान) का पार्टीसिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न है। इसमें किसी खेल का उल्लेख नहीं हैं। अतः लाभ देय नहीं है।

12. श्री सुरेश चन्द्र पाल पुत्र श्री संगम लाल पाल अनुक्रमांक 020113090 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उनका साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था फिर भी उन्हें कम अंक दिया गया।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 29.33 ही अंक दिया गया है।

13. शशि पुत्री श्री राम दुलार अनुक्रमांक 020110293 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के बाद 35.00 अंक दिये गये हैं

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि अभ्यर्थिनी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 35.00 अंक ही प्रदान किये गये है।

14. श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र श्री राम राज अनुक्रमांक 020111293 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार बोर्ड द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और 33.33 ही अंक दिये गये है। जो शायद भूलवश चढ़ गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 33.33 अंक ही प्रदान किये गये हैं।

15. श्री कृष्णा अवतार पुत्र श्री शिवशरण अनुक्रमांक 020114125 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2017 एवं 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार परिषद द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बावजूद 24.00 अंक दिये गये। अन्तिम परिणाम बनाते समय कम अंक अंकित हो गये है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 24.00 अंक ही दिये गये हैं।

16. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिव सेवक अनुक्रमांक 020114076 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार परिषद द्वारा कम अंक दिये गये है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 25.00 अंक ही दिये गये है।

17. गीता चौहान अनुक्रमांक 030102147 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार परिषद द्वारा 32.00 अंक दिये गये है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थिनी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 32.00 अंक ही दिये गये हैं।

18. मन्जरी पाण्डेय अनुक्रमांक 040105608 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार में कम अंक दिये गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थिनी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 39.00 अंक ही प्रदान किये गये है।

19. कु0 दिव्या पुत्री श्री राम कुमार सिंह अनुक्रमांक 010102955 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें मेरे नाम के आगे साक्षात्कार के अंक किसी अन्य अभ्यर्थी के अंकित कर दिये गये है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 39.00 अंक ही प्रदान किये गये है।

20. श्री संजीव सिंह अनुक्रमांक 030102893 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें साक्षात्कार मे 28.00 अंक दर्शाये गये है जो मेरे अंक नही हैं।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 28.00 अंक ही प्रदान किये गये है।

21. श्री लालमणि पटेल पुत्र श्री राम नारायण पटेल अनुक्रमांक 020110937 ने अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि साक्षात्कार का घोषित प्राप्तांक कम हैं।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 33.50 अंक ही प्रदान किये गये है।

22. पूनम अनुक्रमांक 080102963 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 25.03.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि साक्षात्कार में 25.00 अंक ही प्राप्त हुए हैं।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थिनी को साक्षात्कार परिषद द्वारा 25.00 अंक ही प्रदान किये गये है।

23. श्री मनोज कुमार पाण्डेय अनुक्रमांक 100103099 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 22.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें पी0एच0डी0 का 10 अंक नहीं दिया गया हैं।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने अपने आवेदन पत्र में पी0एच0डी0 का उल्लेख नहीं किया है। आवेदन पत्र में पी0एच0डी0 का उल्लेख न किये जाने के कारण पी0एच0डी0 का लाभ नहीं दिया गया है।

24. श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री गजाधर सिंह अनुक्रमांक 010100928 ने अपने प्रत्यावेदन 26.05.2017 एवं 01.06.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें पी0एच0डी0 का लाभ नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री योगेन्द्र सिंह राजपूत ने अपने आवेदन पत्र में पी0एच0डी0 का उल्लेख नहीं किया है। आवेदन पत्र में पी0एच0डी0 का उल्लेख न किये जाने के कारण पी0एच0डी0 का लाभ नहीं दिया गया है।

25. श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय अनुक्रमांक 110102132 ने अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन के माध्यम से चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया गया है। जब कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 11.04.2011 है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय ने आवेदन पत्र में भूतपूर्व सैनिक के कालम में (√) का निशान लगाया है और सत्यापन प्रपत्र में भी भूतपूर्व सैनिक दर्शाया है। आवेदन पत्र के साथ भूतपूर्व सैनिक का कोई प्रमाण संलग्न नहीं हैं और न ही सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक का कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया है। भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र के अभाव में श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय को भूतपूर्व सैनिक का लाभ नही दिया गया है।

26. श्री दिलीप कुमार सिंह अनुक्रमांक 020112333 ने आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री दिलीप कुमार सिंह की सैनिक के रूप में सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 30.11.2016 है। अतः भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया गया है।

27. श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह अनुक्रमांक 020101528 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आवेदन पत्र में दिव्यांग के कालम में (x) क्रास को काटकर (√) का निशान बनाया गया है।

एजेन्सी से प्राप्त आवेदन पत्र की फोटो प्रति में दिव्यांग के कालम में (x) क्रास का निशान है। (x) क्रास का निशान होने के कारण दिव्यांग का लाभ नहीं दिया गया है।

28. श्री कमलेश कुमार गौतम अनुक्रमांक 020114680 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उनका बी0एड0 का 05 अंक नही मिला है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि कम्प्यूटर त्रुटि के कारण श्री कमलेश कुमार गौतम को बी0एड0 के 05 अंक नही मिले है। श्री कमलेश कुमार गौतम को लिखित परीक्षा मे 374.57 अंक तथा साक्षात्कार में 43.50 अंक कुल योग 418.05 अंक मिला है। श्री कमलेश कुमार गौतम को 05 बी0एड0 के अंक मिलने पर 418.05 + 5.00 = 423.05 अंक हो जायेगा। श्री कमलेश कुमार गौतम चयनित सूची में क्रमांक 87 पर है। 423.05 मेरिट होने पर श्री कमलेश कुमार गौतम चयनित सूची में क्रमांक 51 पर आ जायेगे।

29. श्री राकेश यादव अनुक्रमांक 100100603 ने अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन के माध्यम से चयन बोर्ड को अवगत कराया कि उन्हें दिव्यांग का लाभ नहीं दिया गया है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम मे पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में दिव्यांग के कालम में दिव्यांग का उल्लेख नही किया है। आवेदन पत्र में दिव्यांग का उल्लेख न होने के कारण दिव्यांग का लाभ नहीं दिया गया है।

30. श्री सतीश कुमार पाल अनुक्रमांक 020114362 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि इण्टरनेट पर दी गई "आन्सर की" से मिलान करने पर 112 प्रश्न सही है किन्तु परीक्षा परिणाम के अनुसार 111 प्रश्न सही है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त लिखित परीक्षा के पूर्व अंक 399.78 के स्थान पर 403.3792 संशोधित किये जा रहे है जिसके उपरान्त 403.3792 + 32.00 + 5 = 440.3792 हो जाने के कारण श्री सतीश कुमार पाल का चयन पिछड़ी जाति वर्ग 01 की कटआफ मेरिट 439.4376 से अधिक होने के कारण पिछड़ी जाति वर्ग 01 के क्रमांक 122 पर मान्य किया जाता है। श्री सुरेश कुमार पाल के चयन के फलस्वरूप पिछड़ी जाति की अन्तिम चयनित दो अभ्यर्थियों

श्री उत्तम कुमार अनुक्रमांक 020110431 जन्मतिथि 10.07.1989 तथा संगीता कुमारी अनुक्रमांक 040101261 जन्मतिथि 07.07.1988 की समान मेरिट 439.4376 होने के कारण संगीता कुमारी की आयु (07.07.1988) अधिक होने के कारण इनका चयन यथावत् रहते हुए श्री उत्तम कुमार चयन की श्रेणी में नहीं माने जायेगे।

31. पूजा त्रिपाठी आत्मजा श्री राम बहाल त्रिपाठी अनुक्रमांक 110102748 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.05.2017 द्वारा चयन बोर्ड को अवगत कराया कि लिखित परीक्षा में 396.1760 अंक होने चाहिए जबकि चयन बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट में 392.5744 अंक प्राप्त हुए है।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में पुनः परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पूजा के लिखित परीक्षा में प्राप्त पूर्व अंक 392.5744 के स्थान पर 396.1760 संशोधित किया जाता है।

32. मान0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15272/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 के अनुपालन में प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी, विद्यालय दामोदर इण्टर कालेज, पाण्डेयपुर, सुल्तानपुर के प्रति स्थगन आदेश होने के कारण सामान्य वर्ग–01 में एक पद कम होने के फलस्वरूप सामान्य वर्ग–01 में चयनित अन्तिम अभ्यर्थी श्री अरविन्द कुमार सिंह अनुक्रमांक 110104722 चयन की श्रेणी में नहीं माने जायेगें।

लिखित परीक्षा के अंको के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त 21 प्रत्यावेदन पर परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उनके अंको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः पूर्व के अंक यथावत् रहेगें।

विज्ञापन संख्याः 01/2013 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी का अन्तिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् निम्नांकित सारिणी में अंकित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरमाला के सम्बन्ध में उठाई गयी आपत्तियों का निस्तारण इस प्रकार है :—

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम	आपत्तियों का निस्तारण
1.	060101477	रजनी गुप्ता	विज्ञापन संख्या 1/2013 प्रशिक्षित स्नातक हिन्दी विषय के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व अभ्यर्थियों से उत्तरमाला में त्रुटि के सन्दर्भ में आपत्तियॉ मॉगी गई थी। तत्समय आपत्तियों के प्राप्त होने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा जॉच कराकर संशोधित उत्तरमाला के द्वारा मूल्यांकन कराने के पश्चात् लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। उक्त के अनुसार क्रम संख्या 01 से 29 तक के प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाता है।
2.	020108079	ऊषा यादव	
3.	020115169	मनीष कुमार गुप्ता	
4.	020108529	राजदेव	
5.	020101601	सुजीत कुमार वर्मा	
6.	020110980	अवधेश कुमार	
7.	050100280	शिव प्रताप सिंह	
8.	020111293	अरविन्द कुमार यादव	
9.	020115169	मनीष कुमार गुप्ता	
10.	020108451	अंकित कुमार तिवारी	
11.	020112631	प्रदीप कुमार	
12.	020115162, 020107828, 020103604	सरोज तिवारी, दिवाकर दूबे, योगेश कुमार साहू	
13.	020100679	त्रिभुवन गिरि	
14.	080102790	दिनेश कुमार	
15.	020105284	सुनीता देवी	
16.	100108693	मधु किरन	
17.	020107730	अमृत लाल सरोज	
18.	020114813	आरती देवी	
19.	020115747	आनन्द	
20.	080104316	नीतू गोयल	
21.	010103270	मनोरमा तोमर	
22.	020104543	सर्वेश कुमार तिवारी	
23.	020101794	सत्येन्द्र कुमार	
24.	110100101	बिपिन विक्रम सिंह	
25.	110100109	विजय विक्रम सिंह	
26.	090100917	संजय कुमार	
27.	020107912	अवनीश मिश्र	
28.	020110096	पंकज कुमार मौर्य	
29.	020112571	जितेन्द्र कुमार मौर्य	